



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

27 भाद्र 1948 (श0)

(सं0 पटना 1139) पटना, शुक्रवार, 18 सितम्बर 2026

श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग

अधिसूचना

17 सितम्बर 2026

बिहार स्व-प्रमाणन और तृतीय पक्ष अंकेक्षण एवं प्रमाणन योजना, 2026
व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्य दशा संहिता, 2020 तथा व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्य
दशा (बिहार) नियमावली, 2026 के अधीन

प्रस्तावना।—एस०ओ० 217 दिनांक 18 सितम्बर 2026—अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन का श्रम निरीक्षण अभिसमय, 1947 (सं. 81), जो 7 अप्रैल, 1950 से प्रभावी है और जिसका भारत द्वारा अनुसमर्थन किया गया है, औद्योगिक और वाणिज्यिक कार्यस्थलों में श्रम निरीक्षण की एक प्रणाली बनाए रखने की अपेक्षा करता है, तथा यह अपेक्षा करता है कि श्रम निरीक्षकों की भर्ती केवल उनकी योग्यता को ध्यान में रखते हुए की जाए और उन्हें अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिए पर्याप्त रूप से प्रशिक्षित किया जाए;

और जबकि श्रम निरीक्षण, कार्य की सुरक्षित एवं स्वस्थ दशाओं को सुनिश्चित करने के लिए राज्य का एक मूल कार्य है, तथा उक्त अभिसमय का अनुच्छेद 12 निरीक्षकों के इस अधिकार को सुरक्षित रखता है कि वे बिना पूर्व सूचना के स्वतंत्र रूप से कार्यस्थल में प्रवेश करें, जिस अधिकार को इस योजना द्वारा न्यून नहीं किया गया है;

और जबकि व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्य दशा संहिता, 2020 (2020 का 37) की धारा 34(3)(i) समुचित सरकार को यह सशक्त करती है कि वह अधिसूचना द्वारा एक निरीक्षण योजना अधिकथित करे जो वेब-आधारित निरीक्षण के सृजन तथा इलेक्ट्रॉनिक रूप से सूचना मांगे जाने का उपबंध करे, और धारा 34(3)(ii) प्रतिष्ठान तथा निरीक्षक-सह-सुविधाकर्ता के यादृच्छिक चयन का उपबंध करना अपेक्षित करती है;

और जबकि उक्त संहिता की धारा 37(1) समुचित सरकार को यह सशक्त करती है कि वह, अधिसूचना द्वारा, ऐसी अर्हता और अनुभव रखने वाले विशेषज्ञों को, जैसा विहित किया जाए, ऐसे स्टार्ट-अप प्रतिष्ठानों या प्रतिष्ठानों के वर्ग के प्रयोजन के लिए, जैसा अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए, पैनलबद्ध करने की एक योजना अधिकथित करे, और धारा 37(2) यह अपेक्षा करती है कि ऐसे विशेषज्ञों को तृतीय पक्ष अंकेक्षण और प्रमाणन का कार्य एक वेब-आधारित योजना के माध्यम से यादृच्छिक रीति से सौंपा जाए तथा वे अपनी रिपोर्टें संबंधित नियोजक और निरीक्षक-सह-सुविधाकर्ता को प्रस्तुत करें;

और जबकि बिहार व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्य दशा नियमावली, 2026 का नियम 35 यह उपबंधित करता है कि धारा 37 के अधीन पैनलबद्ध किए जाने वाले विशेषज्ञों की विशेषीकृत अर्हता और अनुभव, कर्तव्य और उत्तरदायित्व राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किए जाएंगे, और उक्त नियमावली के नियम 32 की उप-नियम (2) राज्य सरकार को यह अपेक्षा करती है कि वह, अधिसूचना द्वारा, प्रतिष्ठानों के जोखिम आकलन पर आधारित एक वेब-आधारित निरीक्षण योजना अधिकथित करे;

और जबकि भारत सरकार की केंद्रीय निरीक्षण प्रणाली से संबंधित व्यापार सुधार कार्य योजना के अनुसरण में, निम्न जोखिम प्रतिष्ठानों के लिए स्व-प्रमाणन, मध्यम जोखिम प्रतिष्ठानों के लिए तृतीय पक्ष अंकेक्षण और प्रमाणन, तथा उच्च जोखिम प्रतिष्ठानों के लिए निरीक्षक-सह-सुविधाकर्ता द्वारा निरीक्षण से युक्त एक श्रेणीबद्ध अनुपालन सत्यापन ढांचा उपबंधित करना समीचीन है;

अब, जबकि, व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्य दशा संहिता, 2020 (2020 का 37) की धारा 37 की उप-धारा (1) को धारा 34 की उप-धारा (3) के खंड (प) तथा उप-धारा (4) के साथ पठित, और बिहार व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्य दशा नियमावली, 2026 के नियम 35 तथा नियम 32 की उप-नियम (2) के साथ पठित, शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बिहार के राज्यपाल निम्नलिखित योजना अधिकथित करने के लिए प्रसन्न हैं, अर्थात :

अध्याय I प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम, प्रयोज्यता और प्रारंभ।—

- (1) इस योजना को बिहार स्व-प्रमाणन और तृतीय पक्ष अंकेक्षण एवं प्रमाणन योजना, 2026 कहा जा सकेगा।
- (2) यह संपूर्ण बिहार राज्य में विस्तृत होगी।
- (3) यह उन सभी प्रतिष्ठानों को लागू होगी जो संहिता की धारा 3 के अधीन रजिस्ट्रीकृत हैं, जिनके संबंध में संहिता की धारा 2 की उप-धारा (1) के खंड (क) के अर्थ में राज्य सरकार समुचित सरकार है, तथा जो जोखिम-आधारित वर्गीकरण की अधिसूचना के अधीन निम्न जोखिम या मध्यम जोखिम के रूप में वर्गीकृत हैं।
- (4) यह योजना निम्नलिखित पर लागू नहीं होगी:
 - (क) कोई भी ऐसा प्रतिष्ठान जिसके संबंध में केंद्र सरकार समुचित सरकार है, जिसमें खान, प्रमुख पत्तन, तेल क्षेत्र, रेलवे, तथा केंद्र सरकार के या उसके स्वामित्व अथवा नियंत्रण वाले किसी निगम या प्राधिकरण के प्रतिष्ठान सम्मिलित हैं;
 - (ख) उच्च जोखिम के रूप में वर्गीकृत कोई भी प्रतिष्ठान;
 - (ग) कोई भी बड़ी दुर्घटना संकट संस्थापन, या संहिता की पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट संकटपूर्ण प्रक्रिया चलाने वाला कोई कारखाना, अथवा बिहार नियमावली की अनुसूची II में विनिर्दिष्ट सीमा के बराबर या उससे अधिक मात्रा में संकटपूर्ण पदार्थ का प्रबंधन करने वाला प्रतिष्ठान, चाहे उसे अन्यथा जो भी जोखिम श्रेणी प्रदत्त की गई हो।
- (5) यह उसके शासकीय राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगी। परंतु अध्याय III उस तारीख से प्रचालनात्मक होगा जिस तारीख को केंद्रीय निरीक्षण प्रणाली पोर्टल पर पैनलबद्ध विशेषज्ञों के यादृच्छिक आवंटन के प्रमापांक को श्रम आयुक्त, बिहार द्वारा उक्त पोर्टल पर प्रकाशित आदेश द्वारा प्रचालनशील घोषित किया जाता है।

2. परिभाषाएं।—

- (1) इस योजना में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो:
 - (क) “संहिता” से व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्य दशा संहिता, 2020 (2020 का 37) अभिप्रेत है;
 - (ख) “बिहार नियमावली” से व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्य दशा (बिहार) नियमावली, 2026 अभिप्रेत है;
 - (ग) “सीआईएस पोर्टल” से विभाग का वेब-आधारित केंद्रीय निरीक्षण प्रणाली पोर्टल अभिप्रेत है।
 - (घ) “पैनलबद्ध विशेषज्ञ” से ऐसा व्यक्ति या संस्था अभिप्रेत है जो इस योजना के अध्याय III के अधीन संहिता की धारा 37 के प्रयोजनों के लिए विशेषज्ञ के रूप में मान्यताप्राप्त तथा पैनलबद्ध है;
 - (ङ) “सुरक्षा अंकेक्षण” से किसी प्रतिष्ठान के व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य, कल्याण एवं कार्य दशा संबंधी उपबंधों और प्रक्रियाओं का, संहिता, उसके अधीन बनाए गए

नियमों, विनियमों, उपविधियों और मानकों तथा अधिसूचित डिजिटल जांच-सूची के विरुद्ध, एक क्रमबद्ध, प्रलेखित और वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन अभिप्रेत है;

- (च) “संस्था” से ऐसी फर्म, संगम, निकाय निगम, समिति अथवा अन्य निकाय अभिप्रेत है जो तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत है और मुख्यबकि श्रमिकों की व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में संलग्न है;
- (छ) “स्व-प्रमाणन” से अध्याय II के अनुसार किसी निम्न जोखिम प्रतिष्ठान के नियोजक द्वारा इलेक्ट्रॉनिक रूप से या अन्यथा प्रपत्र-घ में फाइल की गई घोषणा अभिप्रेत है;
- (ज) “जोखिम वर्गीकरण योजना” से विभाग द्वारा अधिसूचित बिहार स्थापनाओं का जोखिम-आधारित वर्गीकरण (व्यवसायिक, सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशाएँ) योजना, 2026 अभिप्रेत है;
- (झ) “डिजिटल जांच सूची” से विभाग द्वारा अधिसूचित तथा सीआईएस पोर्टल पर प्रकाशित निरीक्षण एवं अंकेक्षण जांच-सूची अभिप्रेत है;
- (ञ) “अंकेक्षण चक्र” से बारह महीने की वह अवधि अभिप्रेत है जिसके संबंध में अध्याय III के अधीन सुरक्षा अंकेक्षण किया जाना अपेक्षित है।

- (2) इस योजना में प्रयुक्त ऐसे शब्द और पद जो यहां परिभाषित नहीं किए गए हैं किंतु संहिता में या बिहार नियमावली में परिभाषित हैं, उनके वही अर्थ होंगे जो क्रमशः संहिता में या उक्त नियमावली में उन्हें समनुदेशित किए गए हैं।

3. अनुपालन सत्यापन का श्रेणीबद्ध ढांचा।-

- (1) संहिता की धारा 34(4)(क) के अनुसार, अनुपालन सत्यापन को, जोखिम वर्गीकरण योजना के अधीन अवधारित प्रतिष्ठान के जोखिम रूपरेखा के आधार पर, निम्नलिखित रीति से विभेदित किया जाएगा:

जोखिम श्रेणी	सत्यापन का प्रकार	लिखित और वैधिक आधार
निम्न जोखिम	स्व-प्रमाणन	इस योजना का अध्याय II; संहिता की धारा 34(3)(i)
मध्यम जोखिम	पैनलबद्ध विशेषज्ञ द्वारा तृतीय पक्ष अंकेक्षण एवं प्रमाणन	इस योजना का अध्याय III; संहिता की धारा 37 को बिहार नियमावली के नियम 35 के साथ पठित
उच्च जोखिम	निरीक्षक-सह-सुविधाकर्ता द्वारा निरीक्षण	संहिता की धारा 34(3) के अधीन अधिसूचित निरीक्षण योजना को बिहार नियमावली के नियम 32(2) के साथ पठित

- (2) अध्याय II या अध्याय III में भाग लेना नियोजक के लिए वैकल्पिक है। जो नियोजक इस योजना का विकल्प नहीं चुनता, वह संहिता की धारा 34(3) के अधीन अधिसूचना संख्या 194-195, दिनांक-14.08.2026 द्वारा अधिसूचित निरीक्षण योजना द्वारा शासित होता रहेगा।
- (3) इस योजना की कोई भी बात संहिता की धारा 35 के अधीन निरीक्षक-सह-सुविधाकर्ता की शक्तियों, धारा 38 के अधीन विशेष शक्तियों, धारा 89 के अधीन आसन्न संकट की रिपोर्ट पर उत्पन्न होने वाले दायित्वों, अथवा दुर्घटनाओं और संकटपूर्ण घटनाओं की रिपोर्ट करने के संहिता की धाराओं 10 से 12 के अधीन नियोजक के कर्तव्य को न्यून, बाधित या विस्थापित करने वाली नहीं समझी जाएगी।

अध्याय II

निम्न जोखिम प्रतिष्ठानों के लिए स्व-प्रमाणन

4. पात्रता।-

- (1) कोई नियोजक इस अध्याय के अधीन स्व-प्रमाणन का विकल्प चुन सकेगा यदि प्रतिष्ठान:
- (क) संहिता की धारा 3 के अधीन रजिस्ट्रीकृत है और, जहां अपेक्षित हो, संहिता के अधीन वैध अनुज्ञप्ति रखता है;
- (ख) जोखिम वर्गीकरण योजना के अधीन निम्न जोखिम के रूप में वर्गीकृत है; और
- (ग) पूर्ववर्ती दो वित्तीय वर्षों के लिए, जहां ऐसा विवरणी देय थी, बिहार नियमावली के अधीन अपेक्षित वार्षिक विवरणी फाइल कर चुका है।
- (2) यह विकल्प सीआईएस पोर्टल पर प्रपत्र-घ में, विभाग द्वारा विनिर्दिष्ट फीस, जिसे विभाग आवश्यक समझे, के साथ इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रयोग किया जाएगा।

5. फाइल करना और वैधता।—

- (1) स्व-प्रमाणन प्रपत्र-घ में, पूर्ण की गई डिजिटल जांच-सूची के साथ, फाइल किया जाएगा, तथा यह उस वर्ष की 30 अप्रैल को या उससे पूर्व फाइल किया जाएगा जो उस वित्तीय वर्ष के पश्चात्पूर्वी हो जिससे यह संबंधित है।
- (2) स्व-प्रमाणन के स्वीकार किए जाने पर सीआईएस पोर्टल द्वारा सृजित प्रमाणपत्र, स्वीकृति की तारीख से तीन वर्ष के लिए वैध होगा, उप-खंड 5(1) द्वारा अपेक्षित वार्षिक फाइलिंग के अधीन रहते हुए।
- (3) स्व-प्रमाणन और जांच-सूची को संहिता के अधीन प्रस्तुत की गई एक विवरणी, अभिलेख और रिपोर्ट समझा जाएगा, तथा असत्य, गलत या भ्रामक घोषणा संहिता की धारा 98 को, और जहां कोई उल्लंघन स्थापित होता है, यथास्थिति संहिता की धाराओं 94 और 96 को आकर्षित करेगी।

6. स्व-प्रमाणन का प्रभाव।—

- (1) वैध स्व-प्रमाणन रखने वाला प्रतिष्ठान वैधता की अवधि के दौरान निरीक्षण योजना के अधीन नियमित जोखिम-आधारित निरीक्षण के लिए चयनित नहीं किया जाएगा।
- (2) उप-खंड 6(1) निम्नलिखित पर लागू नहीं होगा, और यह अध्याय निम्नलिखित को निवारित नहीं करेगा—
 - (क) संहिता की धारा 38 के अधीन कार्रवाई जहां दशाएं गंभीर संकट या आसन्न खतरा उत्पन्न कर सकती हों;
 - (ख) संहिता की धाराओं 10 से 12 के अधीन रिपोर्ट की गई, अथवा किसी अन्य स्रोत द्वारा रिपोर्ट की गई, दुर्घटना, संकटपूर्ण घटना या अधिसूचनीय व्यावसायिक रोग के परिणामस्वरूप निरीक्षण;
 - (ग) श्रम आयुक्त, बिहार के पूर्व अनुमोदन से, किसी शिकायत पर निरीक्षण;
 - (घ) संहिता की धारा 34(4)(c) के अधीन अधिसूचित प्राचलों पर विशेष निरीक्षण;
 - (ङ.) खंड 7 के अधीन यादृच्छिक (random) सत्यापन; अथवा
 - (च) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य अधिनियमिति के अधीन विहित अवधि के भीतर अपेक्षित निरीक्षण।

7. यादृच्छिक (RANDOM) सत्यापन।—

- (1) सीआईएस पोर्टल, प्रत्येक वित्तीय वर्ष में, वैध स्व-प्रमाणन रखने वाले प्रतिष्ठानों में से पांच प्रतिशत से अधिक न होने वाले प्रतिष्ठानों को सत्यापन के लिए यादृच्छिक रूप से चुनेगा।
- (2) सत्यापन निरीक्षण योजना के अधीन गठित एक दल द्वारा किया जाएगा, तथा जिस अधिकारी ने किसी प्रतिष्ठान का सत्यापन किया है वह उसी प्रतिष्ठान का सत्यापन तत्काल अनुवर्ती चक्र में नहीं करेगा।
- (3) सत्यापन रिपोर्ट, भ्रमण के फोटोग्राफ, यंत्र पाठ्यांक, मशीनरी क्रम संख्याओं, प्रयुक्त यंत्रों के अंशांकन प्रमाणपत्रों, तथा भ्रमण के भौगोलिक निर्देशांकों और समय-मुद्रा सहित, पूर्ण होने के 24 घंटों के भीतर सीआईएस पोर्टल (CIS Portal) पर अपलोड की जाएगी।

8. स्व-प्रमाणन के लाभ की वापसी।—

- (1) मुख्य निरीक्षक-सह-सुविधाकर्ता, लिखित आदेश द्वारा कारण अभिलिखित करते हुए तथा नियोजक को सुने जाने का अवसर देने के पश्चात्, स्व-प्रमाणन के लाभ को निम्नलिखित दशाओं में वापस ले सकेगा जहां—
 - (क) कोई घातक या गंभीर दुर्घटना घटित हुई हो और जांच पर यह पाया जाए कि यह संहिता या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उल्लंघन के कारण हुई है;
 - (ख) लगातार दो वित्तीय वर्षों के लिए वार्षिक विवरणी फाइल नहीं की गई हो;
 - (ग) उल्लंघन की कोई शिकायत जांच पर स्थापित हो गई हो; अथवा
 - (घ) प्रपत्र-घ में की गई घोषणा किसी तात्त्विक विशिष्टि में असत्य पाई गई हो।
- (2) उप-खंड 8(1) के अधीन आदेश भविष्यलक्षी रूप से प्रवर्तनीय होगा, तथा प्रतिष्ठान का जोखिम वर्गीकरण योजना के अधीन पुनः वर्गीकरण किया जाएगा और उसे निरीक्षण योजना के अधीन निपटाया जाएगा। भुगतान की गई फीस वापस नहीं की जाएगी, तथा शास्ति के रूप में कोई फीस समपहृत नहीं होगी।
- (3) ऐसे आदेश के विरुद्ध खंड 26 के अधीन अपील होगी।

अध्याय III

मध्यम जोखिम प्रतिष्ठानों के लिए तृतीय पक्ष अंकेक्षण एवं प्रमाणन

9. धारा 37(1) के अधीन विनिर्दिष्ट प्रतिष्ठानों का वर्ग।—संहिता की धारा 37 की उप-धारा (1) के प्रयोजनों के लिए विनिर्दिष्ट प्रतिष्ठानों का वर्ग होगा (क) उद्योग विभाग, बिहार सरकार द्वारा ऐसे रूप में मान्यताप्राप्त स्टार्ट-अप प्रतिष्ठान, और (ख) जोखिम वर्गीकरण योजना के अधीन मध्यम जोखिम के रूप में वर्गीकृत सभी प्रतिष्ठान।

10. विशेषज्ञों का पैनलबद्धकरण।—

- (1) मुख्य निरीक्षक-सह-सुविधाकर्ता किसी ऐसे व्यक्ति को विशेषज्ञ के रूप में पैनलबद्ध कर सकेगा जो ANNEXURE -I में उपवर्णित अर्हता, अनुभव और अन्य अपेक्षाएं रखता हो।
- (2) मुख्य निरीक्षक-सह-सुविधाकर्ता किसी ऐसी संस्था को विशेषज्ञ के रूप में पैनलबद्ध कर सकेगा जो पांच से कम व्यक्तियों को नियोजित न करती हो, जिनमें से प्रत्येक ANNEXURE -I में उपवर्णित अर्हता, अनुभव और अन्य अपेक्षाएं रखता हो।
परंतु जहां ऐसी संस्था पांच ऐसे व्यक्तियों को नियोजित करना बंद कर देती है, वहां पैनलबद्धता उस तारीख से निलंबित समझी जाएगी जिस तारीख को ऐसा बंद होना हुआ है, और यदि साठ दिनों के भीतर कमी दूर नहीं की जाती है तो वह रद्द की जाएगी।
- (3) व्यावसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य महानिदेशालय (डीजीओएसएच), क्षेत्रीय श्रम संस्थान तथा भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद, इस योजना के प्रयोजनों के लिए पैनलबद्ध संस्थाएं समझी जाएंगी, बशर्ते वे पैराग्राफ 13, 14 और 16 का अनुपालन करें।
- (4) मुख्य निरीक्षक-सह-सुविधाकर्ता, राज्य में कार्य की मात्रा को ध्यान में रखते हुए, समय-समय पर पैनलबद्ध किए जाने वाले विशेषज्ञों की संख्या अवधारित कर सकेगा, तथा सीआईएस पोर्टल पर सार्वजनिक सूचना द्वारा आवेदन आमंत्रित करेगा।

11. आवेदन, संवीक्षा और अनुदान

- (1) पैनलबद्धता के लिए या नवीकरण के लिए आवेदन सीआईएस पोर्टल पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से, व्यक्ति द्वारा प्रपत्र-क में और संस्था द्वारा प्रपत्र-ख में, विभाग द्वारा विनिर्दिष्ट फीस, जिसे विभाग आवश्यक समझे, के साथ किया जाएगा।
- (2) मुख्य निरीक्षक-सह-सुविधाकर्ता आवेदनों की जांच करने, जहां आवश्यक हो लिखित परीक्षा या मौखिक साक्षात्कार आयोजित करने, तथा सिफारिशें करने के लिए एक संवीक्षा समिति गठित कर सकेगा।
- (3) मुख्य निरीक्षक-सह-सुविधाकर्ता प्रत्येक आवेदन का, उसकी प्राप्ति के साठ दिनों के भीतर, निपटान करेगा, तथा या तो पैनलबद्धता प्रदान करेगा या कारण अभिलिखित करते हुए आदेश द्वारा आवेदन अस्वीकार करेगा, जो सीआईएस पोर्टल पर आवेदक को संसूचित किया जाएगा।
- (4) अनुदान पर, पैनलबद्धता का प्रमाणपत्र प्रपत्र-ग में जारी किया जाएगा, तथा विशेषज्ञ का नाम, प्रमाणपत्र संख्या, अर्हता और अधिकारिता सीआईएस पोर्टल (CIS Portal) पर प्रकाशित की जाएगी।
- (5) पैनलबद्धता प्रमाणपत्र जारी होने की तारीख से तीन वर्ष के लिए वैध होगी। नवीकरण के लिए आवेदन समाप्ति से कम से कम तीन महीने पूर्व किया जाएगा तथा इस पैराग्राफ में उपबंधित रीति से निपटाया जाएगा।

12. नवीकरण के लिए अनर्हता।—कोई विशेषज्ञ पैनलबद्धता के नवीकरण के लिए पात्र नहीं होगा यदि;

- (क) पैनलबद्धता पहले दो अवसरों पर प्रतिसंहृत की जा चुकी हो; अथवा
- (ख) विशेषज्ञ ने पूर्ववर्ती एक वर्ष में पांच से कम सुरक्षा अंकेक्षण किए हों, जब तक कि सीआईएस पोर्टल (CIS Portal) द्वारा कम कार्य नहीं आवंटित किया गया हो।

13. पैनलबद्धता की शर्तें।—प्रत्येक पैनलबद्ध विशेषज्ञ:

- (क) सीआईएस पोर्टल पर इलेक्ट्रॉनिक रूप में, किए गए सभी सुरक्षा अंकेक्षणों की एक लॉग बुक बनाए रखेगा, जिसमें अंकेक्षित प्रतिष्ठान का नाम और पता, अंकेक्षण करने वाले व्यक्ति का नाम, संपर्क व्यक्ति, अंकेक्षण की तारीख, तथा नियोजक और निरीक्षक-सह-सुविधाकर्ता को रिपोर्ट प्रस्तुत करने की तारीख दर्शाई जाएगी;
- (ख) पैनलबद्ध विशेषज्ञ न रहने या पैनलबद्ध संस्था का कर्मचारी न रहने के पश्चात् भी, कर्तव्य के दौरान ज्ञात हुए किसी विनिर्माण या वाणिज्यिक रहस्य अथवा कार्य प्रक्रिया या अन्य गोपनीय सूचना का, संहिता की धारा 124 के अनुरूप, प्रकटन नहीं करेगा, जिसका उल्लंघन विशेषज्ञ को विधि के अनुसार सिविल या दांडिक कार्यवाही के लिए दायी बनाएगा;
- (ग) पैनलबद्धता की अवधि के दौरान तथा उसके पश्चात् दो वर्ष तक, अंकेक्षित प्रतिष्ठान को, या उसकी ओर से किसी व्यक्ति को, कोई संयंत्र, मशीनरी, कच्ची सामग्री, सुरक्षा उपकरण, सामग्री या परामर्श सेवा प्रदान नहीं करेगा;

- (घ) संहिता की धारा 18 के अधीन घोषित मानकों, संहिता तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों, तथा IS 14489 अथवा उस समय प्रवृत्त किसी अन्य मानक के, जो भी बाद में हो, कड़ाई से अनुसार अंकेक्षण करेगा; और
- (ङ.) प्रत्येक वर्ष 30 अप्रैल को या उससे पूर्व, किए गए अंकेक्षणों का वार्षिक विवरण सीआईएस पोर्टल पर प्रस्तुत करेगा।

14. यादृच्छिक आवंटन, रोटेशन और हित का टकराव।—

- (1) संहिता की धारा 37 की उप-धारा (2) के खंड (क) के अनुसार, तृतीय पक्ष अंकेक्षण और प्रमाणन का कार्य सीआईएस पोर्टल द्वारा यादृच्छिक रीति से आवंटित किया जाएगा। कोई नियोजक इस योजना के प्रयोजनों के लिए अपनी पसंद के किसी विशेषज्ञ का चयन, नामनिर्देशन या नियोजन नहीं करेगा।
- (2) यादृच्छिकीकरण कलनविधि जिले या क्षेत्र के भीतर भौगोलिक आवंटन का अनुकूलन करेगी, तथा अंकेक्षणीय होगी।
- (3) कोई विशेषज्ञ लगातार दो अंकेक्षण चक्रों में उसी प्रतिष्ठान को आवंटित नहीं किया जाएगा, न ही पांच वर्षों की किसी अवधि में दो बार से अधिक।
- (4) प्रत्येक आवंटन पर विशेषज्ञ, संहिता की धारा 34 की उप-धारा (8) के प्रतिरूप पर, सीआईएस पोर्टल पर एक घोषणा फाइल करेगा कि विशेषज्ञ का प्रतिष्ठान में, अथवा उससे संबंधित किसी प्रक्रिया, कारोबार, पेटेंट या मशीनरी में, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई हित नहीं है, तथा वह प्रतिष्ठान का न तो नियोजित, न अधिभोगी, न भागीदार, न निदेशक और न प्रबंधक है, तथा न ही ऐसे किसी व्यक्ति का निकट या विस्तारित परिवार सदस्य के रूप में संबंधी है।
- (5) जहां ऐसा हित विद्यमान हो या उत्पन्न हो, वहां विशेषज्ञ तुरंत आवंटन अस्वीकार करेगा और सीआईएस पोर्टल स्वतः कार्य का पुनः आवंटन करेगा। इस पैराग्राफ के उल्लंघन में आवंटन की स्वीकृति पैराग्राफ 22 के अधीन प्रतिसंहरण का आधार होगी।

15. अंकेक्षण की सूचना और संचालन।—

- (1) आवंटन पर, सीआईएस पोर्टल नियोजक और विशेषज्ञ को अंकेक्षण की नियत तारीख से कम से कम बहत्तर घंटे पूर्व सूचित करेगा, तथा अंकेक्षण आवंटन के तीस दिनों के भीतर पूर्ण किया जाएगा।
- (2) अंकेक्षण अधिसूचित डिजिटल जांच-सूची के कड़ाई से अनुसार संचालित किया जाएगा। डिजिटल जांच-सूची के दायरे से बाहर कोई निष्कर्ष अभिलिखित नहीं किया जाएगा, न कोई सूचना मांगी जाएगी, सिवाय इसके कि जहां अंकेक्षण किसी शिकायत पर किया जा रहा हो, वहां शिकायत की विषयवस्तु की भी जांच की जाएगी।
- (3) विशेषज्ञ सीआईएस पोर्टल के अंकेक्षण मापांक में, अनिवार्य क्षेत्रों के रूप में, देखी गई दशाओं के फोटोग्राफ, यंत्र पाठ्यांक, जांचे गए उपकरण और मशीनरी की क्रम संख्याएं, तथा प्रयुक्त यंत्रों के अंशांकन प्रमाणपत्र अभिलिखित करेगा। भ्रमण के भौगोलिक निर्देशांक और समय-मुद्रा स्वचालित रूप से अभिग्रहीत की जाएगी।
- (4) नियोजक विशेषज्ञ को प्रवेश, निरीक्षण, परीक्षण और जांच की प्रत्येक सुविधा प्रदान करेगा। धारा 37 में निर्दिष्ट विशेषज्ञ को प्रवेश से इनकार करना संहिता की धारा 95 की उप-धारा (1) के खंड (ii) के अधीन दंडनीय है।

16. निष्कर्षों का वर्गीकरण और सुधार अवधि।—

- (1) प्रत्येक निष्कर्ष का विशेषज्ञ द्वारा अंकेक्षण रिपोर्ट में गंभीर, मुख्य या लघु के रूप में वर्गीकरण किया जाएगा, तथा अनुपालन की संगत अवधि निम्नानुसार होगी:

वर्गीकरण	निष्कर्ष की प्रकृति	अनुपालन के लिए अवधि
गंभीर	संहिता की धारा 38(1)(i) में परिकल्पित प्रकृति की, चोट या मृत्यु के मार्ग से गंभीर संकट या आसन्न खतरा उत्पन्न कर सकने वाली दशा	तत्काल कार्रवाई; तुरंत सुधारात्मक कार्रवाई; 72 घंटों के भीतर अनुपालन रिपोर्ट
मुख्य	गंभीर न होते हुए भी कर्मचारियों की सुरक्षा, स्वास्थ्य या कार्य दशाओं पर सीधा प्रभाव रखने वाला उल्लंघन	15 दिन
लघु	सुरक्षा या स्वास्थ्य पर तात्कालिक प्रभाव न रखने वाला प्रक्रियात्मक, प्रलेखीय या अभिलेख-निर्वहन संबंधी उल्लंघन	30 दिन

- (2) जहां विशेषज्ञ को कर्मचारियों के जीवन या सुरक्षा के लिए आसन्न खतरा उत्पन्न करने वाला कोई संकट मिलता है, वहां विशेषज्ञ इसे तुरंत लिखित रूप में नियोजक, निरीक्षक-सह-सुविधाकर्ता और मुख्य निरीक्षक-सह-सुविधाकर्ता को संसूचित करेगा, तथा इसे सीआईएस पोर्टल पर अभिलिखित करेगा। नियोजक तुरंत सुधारात्मक कार्रवाई करेगा और 72 घंटों के भीतर अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। इस योजना की कोई बात ऐसे मामले में संहिता की धारा 38 के अधीन निरीक्षक-सह-सुविधाकर्ता की शक्तियों के प्रयोग को निवारित नहीं करेगी।

17. निष्कर्षों के अंतिमीकरण से पूर्व नियोजक को अवसर।—

- (1) अंकेक्षण के समापन पर, विशेषज्ञ सीआईएस पोर्टल पर प्रावधिक निष्कर्ष अभिलिखित करेगा तथा उसी दिन इलेक्ट्रॉनिक मेल और लघु संदेश सेवा (Short Message Service) द्वारा नियोजक को संसूचित करेगा।
- (2) नियोजक ऐसी संसूचना के सात दिनों के भीतर, दस्तावेजों सहित, सीआईएस पोर्टल पर एक उत्तर फाइल कर सकेगा।
- (3) विशेषज्ञ उत्तर पर विचार करेगा, इसे अंकेक्षण रिपोर्ट में अभिलिखित करेगा, और तत्पश्चात् ही रिपोर्ट को अंतिम रूप देगा।

18. अंकेक्षण रिपोर्ट और उसका प्रेषण।—

- (1) सुरक्षा अंकेक्षण रिपोर्ट प्रपत्र-ड. में, विशेषज्ञ या संस्था के पत्रशीर्ष पर तैयार की जाएगी तथा उसमें व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य, कल्याण और कार्य दशाओं के सुधार के लिए सिफारिशें सम्मिलित होंगी।
- (2) संहिता की धारा 37 की उप-धारा (2) के खंड (c) के अनुसार, विशेषज्ञ रिपोर्ट को एक साथ नियोजक और अधिकारिता के निरीक्षक-सह-सुविधाकर्ता को प्रस्तुत करेगा, तथा अंतिमीकरण के चौबीस घंटों के भीतर इसे सीआईएस पोर्टल पर अपलोड करेगा।
- (3) रिपोर्ट नियोजक के लॉगिन में देखने और डाउनलोड करने के लिए सीआईएस पोर्टल पर कम से कम पांच वर्षों तक उपलब्ध रहेगी।

19. की गई कार्रवाई की रिपोर्ट।—

- (1) नियोजक पैराग्राफ 16 में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर विशेषज्ञ की सिफारिशों पर कार्रवाई करेगा तथा अंकेक्षण रिपोर्ट की प्राप्ति के तीस दिनों के भीतर, अनुपालन के प्रमाण सहित, प्रपत्र-च में की गई कार्रवाई की रिपोर्ट सीआईएस पोर्टल पर निरीक्षक-सह-सुविधाकर्ता और मुख्य निरीक्षक-सह-सुविधाकर्ता को प्रस्तुत करेगा।
- (2) अनुपालन की निगरानी मुख्य निरीक्षक-सह-सुविधाकर्ता द्वारा की जाएगी, जो नियोजक को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर दे सकेगा, तथा जहां संतुष्ट न हो, अपने स्तर पर एक महीने के भीतर सत्यापन करा सकेगा।
- (3) की गई कार्रवाई की रिपोर्टों का सत्यापन, सीआईएस पोर्टल द्वारा यादृच्छिक रूप से चयनित, किसी वित्तीय वर्ष में अंकेक्षित प्रतिष्ठानों में से पांच प्रतिशत से अधिक के संबंध में नहीं किया जाएगा।

20. तृतीय पक्ष अंकेक्षण और प्रमाणन का प्रभाव।—

- (1) जिस प्रतिष्ठान ने प्रत्येक अंकेक्षण चक्र में सुरक्षा अंकेक्षण कराया है तथा समय के भीतर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट फाइल की है, उसे प्रमाणन की अवधि के लिए निरीक्षण योजना के अधीन नियमित जोखिम-आधारित निरीक्षण के लिए चयनित नहीं किया जाएगा।
- (2) उप-पैराग्राफ (1) पैराग्राफ 6 के उप-पैराग्राफ (2) के खंड (a) से (f) के अधीन है, जो इस अध्याय को उसी प्रकार लागू होंगे जैसे वे अध्याय II को लागू होते हैं।
- (3) जहां विनिर्माण प्रक्रिया में कोई परिवर्तन, पूर्ण या आंशिक, हो, वहां नियोजक ऐसे परिवर्तन के एक महीने के भीतर, सीआईएस पोर्टल द्वारा आवंटित विशेषज्ञ के माध्यम से, एक नया सुरक्षा अंकेक्षण कराएगा।
- (4) अंकेक्षण रिपोर्ट के आधार पर कार्यवाहियों का प्रारंभ संहिता की धारा 110 की उप-धारा (1) द्वारा शासित होगा, जिसके अधीन निरीक्षक-सह-सुविधाकर्ता पहले नियोजक को अनुपालन के लिए तीस दिनों का अवसर देगा, और यदि अनुपालन होता है तो अभियोजन आरंभ नहीं करेगा, सिवाय दुर्घटना के मामले में या तीन वर्षों के भीतर उसी प्रकृति के उल्लंघन की पुनरावृत्ति के मामले में।

21. फीस।—

- (1) पैनलबद्धता और नवीकरण के लिए विभाग द्वारा विनिर्दिष्ट फीस, जिसे विभाग आवश्यक समझे, होगा;

- (2) तृतीय पक्ष अंकेक्षण और प्रमाणन का विकल्प चुनने के लिए नियोजक द्वारा देय फीस वही होगा जो विनिर्दिष्ट किया जाय, तथा सीआईएस पोर्टल पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से भुगतान की जाएगी।
- (3) नियोजक द्वारा पैनलबद्ध विशेषज्ञ को देय व्यावसायिक फीस वही होगा, जिसे विभाग द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाय, जिसे विभाग आवश्यक समझे। नियोजक, इसके अतिरिक्त, प्रमाण की प्रस्तुति पर, वास्तव में उपगत यातायात, ठहराव और अन्य ऐसे प्रभार वहन करेगा।

22. पैनलबद्ध विशेषज्ञ द्वारा व्यतिक्रम।—

- (1) मुख्य निरीक्षक—सह—सुविधाकर्ता, विशेषज्ञ को सुने जाने का अवसर देने के पश्चात्, पैनलबद्धता को निलंबित या प्रतिसंहत कर सकेगा जहां यह विश्वास करने का कारण है कि विशेषज्ञ :
 - (क) पैनलबद्धता या नवीकरण की किसी शर्त का उल्लंघन किया है;
 - (ख) संहिता या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों का उल्लंघन करते हुए अंकेक्षण किया है, अथवा उनके आशय या प्रयोजन के प्रतिकूल कार्य किया है, अथवा उनके अधीन अपेक्षित रूप से कार्य करने में लोप या असफलता की है;
 - (ग) पैराग्राफ 14 के उल्लंघन में आवंटन स्वीकार किया है;
 - (घ) दो से अधिक अवसरों पर पैराग्राफ 18 में विनिर्दिष्ट समय के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करने में असफल रहा है;
 - (ङ) ऐसा निष्कर्ष अभिलिखित किया है जो सत्यापन पर तात्त्विक रूप से असत्य या भ्रामक पाया जाता है; अथवा
 - (च) लिखित रूप में अभिलिखित किए जाने योग्य किसी अन्य ऐसे ही कारण से अनर्ह है।
- (2) प्रतिसंहरण का आदेश सीआईएस पोर्टल (CIS Portal) पर प्रकाशित किया जाएगा, तथा विशेषज्ञ आदेश की तारीख से तीन वर्षों के लिए नई पैनलबद्धता के लिए पात्र नहीं होगा।
- (3) विशेषज्ञ द्वारा जानते हुए असत्य रिपोर्ट, कथन या अभिलेख बनाना या देना संहिता की धारा 98 को आकर्षित करता है, तथा इस योजना द्वारा अपेक्षित अभिलेख बनाए रखने या विवरण फाइल करने में असफलता संहिता की धारा 96 को आकर्षित करती है।
- (4) पैनलबद्धता का निलंबन या प्रतिसंहरण पहले से पूर्ण किए गए अंकेक्षणों की वैधता को प्रभावित नहीं करेगा, तथा लंबित आवंटन सीआईएस पोर्टल (CIS Portal) द्वारा पुनः सौंपे जाएंगे।

अध्याय IV

केंद्रीय निरीक्षण प्रणाली, पारदर्शिता और अभिलेख

23. सीआईएस पोर्टल (CIS Portal) के माध्यम से मार्गनिर्देशन।—

- (1) इस योजना के अधीन प्रत्येक आवेदन, आवंटन, स्व-प्रमाणन, जांच-सूची, अंकेक्षण रिपोर्ट, की गई कार्रवाई की रिपोर्ट, सत्यापन रिपोर्ट, अपील और आदेश केवल सीआईएस पोर्टल के माध्यम से किया, सृजित, प्रेषित और संरक्षित किया जाएगा।
- (2) सीआईएस पोर्टल, संहिता की धारा 34 की उप-धारा (4) के खंड (क) के अनुसार, प्रत्येक प्रतिष्ठान को, जो कि धारा 3 के अधीन आवंटित रजिस्ट्रीकरण संख्या है, एक अद्वितीय संख्या, प्रत्येक पैनलबद्ध विशेषज्ञ और प्रत्येक निरीक्षक—सह—सुविधाकर्ता को एक अद्वितीय संख्या, तथा प्रत्येक अंकेक्षण, सत्यापन और निरीक्षण को एक अद्वितीय संख्या समनुदेशित करेगा।

24. प्रकाशन और डैशबोर्ड।—विभाग सीआईएस पोर्टल (CIS Portal) पर निम्नलिखित प्रकाशित करेगा तथा अद्यतन रखेगा:

- (क) अंकेक्षण और निरीक्षण प्रक्रिया तथा डिजिटल जांच-सूची;
- (ख) जोखिम वर्गीकरण योजना तथा प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत प्रतिष्ठान की जोखिम श्रेणी;
- (ग) प्रमाणपत्र संख्याओं, अर्हता, अधिकारिता और वैधता सहित पैनलबद्ध विशेषज्ञों की सूची, तथा जिन विशेषज्ञों की पैनलबद्धता निलंबित या प्रतिसंहत है उनकी सूची;
- (घ) प्राप्त और निपटाए गए आवेदनों, लगे समय, तथा देय एवं भुगतान की गई फीस का डैशबोर्ड;
- (ग) प्रकार अनुसार सत्यापनों की संख्या दर्शाने वाला डैशबोर्ड, अर्थात् नियमित जोखिम—आधारित, शिकायत—आधारित, दुर्घटना—संबंधित, विशेष और यादृच्छिक सत्यापन, अंतिम अद्यतन की तारीख और समय सहित; और
- (घ) प्रत्येक वित्तीय वर्ष के समापन पर, जिला—वार, उद्योग—वार और जोखिम श्रेणी—वार समग्र आंकड़े, जिनमें अनुपालन दर, पुनः सत्यापनों की संख्या और की गई दंडित कार्रवाइयों की संख्या सम्मिलित हैं।

25. अभिलेख, प्रतिधारण और डेटा संरक्षण।—

- (1) इस योजना के अधीन सृजित सभी अभिलेख कम से कम पांच वर्षों तक संरक्षित किए जाएंगे, तथा नियोजक के लॉगिन में कम से कम तीन वर्षों तक नियोजक को उपलब्ध होंगे।
- (2) अनुपालन स्थिति प्रतिष्ठान—वार सीआईएस पोर्टल (CIS Portal) पर प्रदर्शित की जाएगी तथा नियोजक और उस प्रतिष्ठान के श्रमिकों के लिए सुगम्य होगी।
- (3) इस योजना के अधीन एकत्र किया गया व्यक्तिगत डेटा डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 के अनुसार संसाधित किया जाएगा, तथा किसी विनिर्माण या वाणिज्यिक कारोबार या कार्य प्रक्रिया से संबंधित सूचना संहिता की धारा 124 के अनुसार निपटाई जाएगी।
- (4) जहां सत्यापन किसी श्रमिक की शिकायत से उत्पन्न होता है, वहां शिकायतकर्ता की पहचान नियोजक को किसी भी परिस्थिति में प्रकट नहीं की जाएगी जहां श्रमिक ने गोपनीयता की मांग की हो।

अध्याय V

अपील, व्यावृत्तियां और प्रकीर्ण

26. अपील।—

- (1) पैराग्राफ 8, पैराग्राफ 11, पैराग्राफ 19 या पैराग्राफ 22 के अधीन आदेश से, अथवा अंकक्षण रिपोर्ट में अभिलिखित किसी निष्कर्ष से व्यथित नियोजक या विशेषज्ञ, आदेश या रिपोर्ट की संसूचना के तीस दिनों के भीतर, सीआईएस पोर्टल पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से श्रमायुक्त, बिहार के समक्ष अपील प्रस्तुत कर सकेगा।
- (2) अपील उसके फाइल किए जाने के पंद्रह दिनों के भीतर सुनी जाएगी तथा सुनवाई के तीस दिनों के भीतर एक कारणयुक्त आदेश द्वारा निपटाई जाएगी, जो सीआईएस पोर्टल पर प्रकाशित किया जाएगा।
- (3) दुर्घटना के मामले को, तीन वर्षों के भीतर उसी प्रकृति के उल्लंघन की पुनरावृत्ति को, अथवा संहिता की धारा 38 को आकर्षित करने वाली दशा को छोड़कर, अंकक्षण या सत्यापन रिपोर्ट के आधार पर अभियोजन तब तक आरंभ नहीं किया जाएगा जब तक अपील, यदि कोई हो, निपटाई नहीं जाती।
- (4) अपील आवेदन के साथ अपील के समर्थन में सभी संबंधित दस्तावेज तथा जो व्यक्ति और संस्था के मामले में विनिर्दिष्ट शुल्क संलग्न किया जाएगा।
- (5) श्रमायुक्त, बिहार अपील के निस्तारण के लिए आवश्यकतानुसार ऐसी अतिरिक्त जानकारी या दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए कह सकता है। अपीलार्थी द्वारा जमा किया गया शुल्क अप्रतिदेय होगा। श्रमायुक्त, बिहार का निर्णय अंतिम होगा।

27. शमन द्वारा उल्लंघनों का निपटान।—जहां इस योजना के अधीन अंकक्षण या सत्यापन द्वारा प्रकट किया गया उल्लंघन शमनीय है, वहां नियोजक संहिता की धारा 114 के अधीन शमन के लिए आवेदन कर सकेगा। शमन उल्लंघन के निपटान का एक तंत्र है और शास्ति के अधिरोपण की कोटि में नहीं आता, तथा उस धारा के अधीन किसी अपराध का शमन इस योजना के प्रयोजनों के लिए अथवा संहिता की धारा 127 के अधीन प्रदत्त किसी छूट के प्रयोजनों के लिए दण्डात्मक परिणाम नहीं समझा जाएगा।

28. नए प्रतिष्ठान।—अनुपालन निरीक्षणों से उत्पन्न होने वाले दांडिक परिणामों से नए प्रतिष्ठानों को उपलब्ध राहत वैसी होगी जैसी राज्य सरकार द्वारा नए कारखानों के संबंध में संहिता की धारा 127 की उप-धारा (2) के अधीन तथा अन्य नए प्रतिष्ठानों के संबंध में संहिता की धारा 127 की उप-धारा (1) के अधीन जारी अलग अधिसूचना में उपबंधित है, तथा इस योजना की कोई बात उस राहत को न्यून करने वाली नहीं समझी जाएगी।

29. छूट देने की शक्ति।—राज्य सरकार, संहिता की धारा 127 की उप-धारा (1) के अधीन अधिसूचना द्वारा, तथा लिखित रूप में अभिलिखित किए जाने वाले कारणों से, किसी प्रतिष्ठान या प्रतिष्ठानों के वर्ग को इस योजना के सभी या किन्हीं उपबंधों से, ऐसी शर्तों के अधीन जैसी विनिर्दिष्ट की जाएं, छूट दे सकेगी।

30. निर्देश जारी करने की शक्ति।—श्रम आयुक्त, बिहार इस योजना को प्रभावी करने के लिए आवश्यक ऐसे प्रशासनिक निर्देश, मानक प्रचालन प्रक्रियाएं और पोर्टल विन्यास जारी कर सकेगा, जो संहिता, बिहार नियमावली या इस योजना के प्रतिकूल न हों।

31. अध्यारोहण और व्यावृत्तियां ।—

- (1) विभाग द्वारा पूर्व में अधिसूचित कोई भी स्व-प्रमाणन और तृतीय पक्ष प्रमाणन/ अंकेक्षण योजना इस योजना के प्रारंभ की तारीख से अध्यारुढ़ हो जाएगी।
- (2) ऐसे अध्यारोहण के होते हुए भी, अध्यारुढ़ योजना के अधीन की गई कोई भी बात या की गई कोई कार्रवाई, जहां तक वह इस योजना के प्रतिकूल नहीं है, इस योजना के संगत उपबंधों के अधीन की गई या ली गई समझी जाएगी।

ANNEXURE-I

**विशेषज्ञ के रूप में पैनल में शामिल किए जाने हेतु योग्यताएं, अनुभव तथा अन्य आवश्यकताएं
(पैराग्राफ 10 देखें)**

1. शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव।— आवेदक के पास निम्नलिखित में से कोई एक होना चाहिए:

- (क) रासायनिक, असैनिक, यांत्रिक, धातुकर्म अभियांत्रिकी, विद्युत या उत्पादन अभियांत्रिकी में डिग्री, तथा किसी कारखाने या प्रतिष्ठान के विनिर्माण, अनुरक्षण, अभिकल्प, परियोजना या सुरक्षा विभाग में पर्यवेक्षी या उच्चतर क्षमता में पांच वर्ष से कम न होने वाला अनुभव, तथा राज्य तकनीकी शिक्षा बोर्ड, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त औद्योगिक सुरक्षा में एक वर्षीय पूर्णकालिक डिप्लोमा; या
- (ख) अभियांत्रिकी की किसी भी शाखा में डिग्री, तथा भारत सरकार अथवा किसी राज्य सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के कारखानों में सुरक्षा एवं स्वास्थ्य से संबंधित क्षेत्र में पंद्रह वर्ष से कम न होने वाला अनुभव; या
- (ग) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से औद्योगिक सुरक्षा, औद्योगिक स्वच्छता या व्यावसायिक स्वास्थ्य में स्नातकोत्तर डिग्री या डिप्लोमा, तथा किसी कारखाने या प्रतिष्ठान में व्यावसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में सात वर्ष से कम न होने वाला अनुभव।

2. स्वतंत्रता।— आवेदक का उस प्रतिष्ठान में, जिसका सुरक्षा अंकेक्षण किया जाना है, अथवा उसमें चलाई जा रही किसी प्रक्रिया या व्यवसाय में, अथवा उससे संबंधित किसी पेटेंट या मशीनरी में, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई हित नहीं होना चाहिए।

3. स्वास्थ्य फिटनेस।— जहां आवेदक की आयु 65 वर्ष से अधिक हो, वहां सुरक्षा अंकेक्षण करने के प्रयोजन हेतु किसी सिविल सर्जन या प्रमाणन सर्जन द्वारा जारी शारीरिक स्वस्थता प्रमाण पत्र, पैनल में शामिल किए जाने या नवीनीकरण के आवेदन के साथ प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

4. संस्थान।— किसी संस्थान को कम से कम तीन ऐसे व्यक्तियों को नियोजित करना चाहिए जो प्रत्येक ऊपर दिए गए पैराग्राफ 1 से 3 को पूरा करते हों, तथा उसके पास सुरक्षा अंकेक्षण के संचालन हेतु आवश्यक उपकरण, परीक्षण सुविधाएं तथा अंशांकन (कैलिब्रेशन) अभिलेख होने चाहिए।

5. शिथिलीकरण।— श्रमायुक्त, बिहार लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों से, किसी ऐसे संस्थान के संबंध में योग्यता की आवश्यकता में शिथिलीकरण कर सकता है जो सुरक्षा अंकेक्षण के क्षेत्र में असाधारण रूप से विशेषीकृत हो, दो वर्ष से अधिक न होने वाली अवधि के लिए। पैराग्राफ 2 में दी गई स्वतंत्रता की आवश्यकता के संबंध में कोई शिथिलीकरण नहीं दिया जाएगा।

प्रपत्र –क
विशेषज्ञ (व्यक्तिगत) के रूप में पैनल में शामिल किए जाने या पैनल के नवीनीकरण हेतु
आवेदन
[पैराग्राफ 11(1) देखें]

1. आवेदक का नाम
2. पिता या पति का नाम
3. जन्म तिथि तथा आयु
4. स्थायी पता
5. पत्राचार हेतु पता
6. मोबाइल नंबर तथा ई-मेल पता
7. आधार अथवा अन्य पहचान विवरण
8. प्रमाण पत्र संख्या तथा दिनांक (नवीनीकरण के मामले में)
9. शैक्षणिक योग्यताएं (स्व-सत्यापित प्रतियां अपलोड करें)

क्रम सं.	डिग्री या डिप्लोमा	कॉलेज, संस्थान या विश्वविद्यालय	पूर्ण होने का वर्ष

10. सुरक्षा में तकनीकी योग्यता (स्व-सत्यापित प्रतियां अपलोड करें)

क्रम सं.	डिग्री या डिप्लोमा	कॉलेज, संस्थान या विश्वविद्यालय	पूर्ण होने का वर्ष

11. कार्य अनुभव (स्व-सत्यापित प्रतियां अपलोड करें)

क्रम सं.	संगठन तथा पदनाम	कर्तव्यों की प्रकृति	अवधि (से तथा तक)

घोषणा।— मैं घोषणा करता हूं कि ऊपर दिए गए विवरण मेरी सर्वोत्तम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार सत्य तथा सही हैं। मेरा किसी भी ऐसे प्रतिष्ठान में, जो मुझे अंकेक्षण हेतु आवंटित किया जा सकता है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई हित नहीं है। मैं पैनल में शामिल किए जाने की शर्तों तथा व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्य दशाएं संहिता, 2020 तथा उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों एवं योजनाओं के उपबंधों का पालन करने, तथा अपने कर्तव्यों के निर्वहन में व्यावसायिक नैतिकता को बनाए रखने का वचन देता हूं।

आवेदक के हस्ताक्षर

स्थान तथा दिनांक

प्रपत्र —ख

विशेषज्ञ (संस्थान) के रूप में पैनल में शामिल किए जाने या पैनल के नवीनीकरण हेतु आवेदन

[पैराग्राफ 11(1) देखें,]

क्र०सं०	विवरण	जानकारी
1	संस्थान का नाम तथा पूरा पता	
2	संस्थान की स्थिति (सरकारी, स्वायत्त, सहकारी, कॉर्पोरेट, सोसायटी या निजी) पंजीकरण संख्या सहित	
3	संस्थान के प्रमुख का नाम, मोबाइल नंबर तथा ई-मेल पता	
4	क्या संस्थान को इस राज्य या किसी अन्य राज्य द्वारा सुरक्षा अंकेक्षक के रूप में मान्यता प्राप्त या पैनल में शामिल किया गया है, विवरण सहित	
5	ANNEXURE-I को पूरा करने वाले कम से कम तीन नियोजित व्यक्तियों का विवरण (जीवन-वृत्त तथा नियुक्ति पत्र अपलोड किए जाएं)	
6	उपलब्ध उपकरण, परीक्षण सुविधाएं तथा वैध अंशांकन प्रमाण पत्र	
7	प्रमाण पत्र संख्या तथा दिनांक (नवीनीकरण के मामले में)	
8	क्या पूर्व में मान्यता या पैनल में शामिल किए जाने को रद्द या निरस्त किया गया है, दिनांकों तथा आदेश संख्याओं सहित	

घोषणा।— मैं घोषणा करता हूं कि ऊपर दी गई जानकारी मेरी सर्वोत्तम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार सही है; कि जिन व्यक्तियों का जीवन-वृत्त संलग्न है, वे संस्थान के कर्मचारी हैं; कि यदि ऐसा कोई व्यक्ति संस्थान की सेवा छोड़ता है तो संस्थान तुरंत मुख्य निरीक्षक-सह-सुविधाकर्ता को सूचित करेगा; कि संस्थान सुविधाओं को अच्छी कार्यशील स्थिति में बनाए रखेगा; तथा संस्थान पैनल में शामिल किए जाने की सभी शर्तों का पालन करेगा।

टिप्पणी।— वह संस्थान जिसकी मान्यता या पैनल सदस्यता दो अवसरों पर रद्द की जा चुकी हो, पैनल में शामिल किए जाने के लिए पात्र नहीं है।

संस्थान के प्रमुख के हस्ताक्षर, पदनाम सहित

स्थान तथा दिनांक

प्रपत्र—ग

संहिता की धारा 37 के अंतर्गत विशेषज्ञ के रूप में पैनल में शामिल किए जाने का प्रमाण पत्र
[पैराग्राफ 11(4) देखें,]

यह प्रमाणित किया जाता है कि (व्यक्ति या संस्थान का नाम),
बिहार स्व-प्रमाणन एवं तृतीय पक्ष अंकेक्षण एवं प्रमाणन योजना, 2026 के ANNEXURE-I की
आवश्यकताओं को पूरा करने के पश्चात, व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्य दशाएं संहिता, 2020
की धारा 37 के अंतर्गत, केंद्रीय निरीक्षण प्रणाली पोर्टल के माध्यम से आवंटित प्रतिष्ठानों के
तृतीय पक्ष अंकेक्षण एवं प्रमाणन करने के प्रयोजन हेतु, विशेषज्ञ के रूप में पैनल में शामिल किया
जाता है।

प्रमाण पत्र संख्या

अधिकार क्षेत्र

से वैध

तक वैध

.....

शर्तें |— यह पैनल सदस्यता योजना के पैराग्राफ 13, 14, 15 तथा 22 के अधीन है, तथा
ऐसी अन्य शर्तों के अधीन है जो केंद्रीय निरीक्षण प्रणाली पोर्टल पर विनिर्दिष्ट की
जा सकती हैं।

मुख्य निरीक्षक—सह—सुविधाकर्ता, बिहार के हस्ताक्षर तथा मुहर

.....

प्रपत्र-घ

निम्न जोखिम प्रतिष्ठान द्वारा स्व-प्रमाणन

[पैराग्राफ 4(2) तथा पैराग्राफ 5 देखें,]

1. प्रतिष्ठान का नाम तथा पता
2. संहिता की धारा 3 के अंतर्गत पंजीकरण संख्या
3. संहिता की धारा 119 के अंतर्गत अनुज्ञप्ति संख्या, जहां लागू हो
4. नियोक्ता, अधिभोगी या प्रबंधक का नाम
5. गतिविधि की प्रकृति तथा निर्धारित जोखिम श्रेणी
6. नियोजित श्रमिकों की संख्या
7. वित्तीय वर्ष जिससे यह प्रमाणन संबंधित है
8. विभाग द्वारा अधिसूचित पूर्ण डिजिटल चेकलिस्ट, सीआईएस पोर्टल पर अपलोड की गई (अनिवार्य)।

घोषणा।— मैं घोषणा करता हूं कि प्रतिष्ठान व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्य दशाएं संहिता, 2020, बिहार व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्य दशाएं नियमावली, 2026 तथा संहिता की धारा 18 के अंतर्गत घोषित मानकों के लागू उपबंधों का पालन करता है; कि चेकलिस्ट में दिए गए विवरण सत्य तथा सही हैं; तथा मुझे यह ज्ञात है कि मिथ्या घोषणा संहिता की धारा 98 को आकर्षित करती है तथा उल्लंघन संहिता की धाराओं 94 तथा 96 को आकर्षित करता है।

नियोक्ता, अधिभोगी या प्रबंधक के हस्ताक्षर

स्थान तथा दिनांक

प्रपत्र-ड.
सुरक्षा अंकेक्षण रिपोर्ट
[पैराग्राफ 18 देखें,]

1. प्रतिष्ठान का नाम तथा पता
2. संहिता की धारा 3 के अंतर्गत पंजीकरण संख्या
3. ई-मेल पता तथा संपर्क नंबर
4. नियोक्ता, अधिभोगी या प्रबंधक का नाम
5. जोखिम श्रेणी तथा अंकेक्षण चक्र
6. अंकेक्षण की तिथि या तिथियां तथा अद्वितीय अंकेक्षण संख्या
7. पैनल में शामिल विशेषज्ञ का नाम, प्रमाण पत्र संख्या, तथा
संस्थान के मामले में अंकेक्षण करने वाले व्यक्ति का नाम
8. सीआईएस पोर्टल द्वारा उत्पन्न आवंटन संदर्भ
9. **प्रक्रिया विवरण**— अधिकतम भंडारण मात्रा सहित कच्चे माल की सूची; अधिकतम भंडारण मात्रा सहित तैयार उत्पादों की सूची; विनिर्माण प्रक्रिया प्रवाह चार्ट; रासायनिक कारखानों के मामले में सभी संयंत्रों का पाइपिंग एवं इंस्ट्रुमेंटेशन आरेख।

10. **निष्कर्ष**— अधिसूचित डिजिटल चेकलिस्ट की प्रत्येक प्रविष्टि के विरुद्ध निम्नलिखित रीति से दर्ज किए जाएं:

क्रम सं.	चेकलिस्ट प्रविष्टि तथा संहिता या नियमों का उपबंध	वर्गीकरण (गंभीर, प्रमुख, लघु)	साक्ष्य (फोटोग्राफ, रीडिंग, क्रम संख्या, अंशांकन प्रमाण पत्र संदर्भ)	सिफारिश तथा अनुपालन हेतु अवधि

11. **नियोक्ता की प्रतिक्रिया** पैराग्राफ 17 के अंतर्गत दर्ज (पूर्ण रूप से पुनरुत्पादित की जाए)।
12. **विशेषज्ञ द्वारा घोषणा**— मैं प्रमाणित करता हूं कि अंकेक्षण, व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्य दशाएं संहिता, 2020, उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों एवं मानकों तथा IS 14489 या वर्तमान समतुल्य मानक के उपबंधों के अनुसार किया गया; कि अंकेक्षण अधिसूचित डिजिटल चेकलिस्ट तक सीमित था; कि प्रतिष्ठान में मेरा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई हित नहीं है; तथा कि ऊपर दर्ज किए गए निष्कर्ष सत्य तथा सही हैं।
पैनल में शामिल विशेषज्ञ के हस्ताक्षर, प्रमाण पत्र संख्या सहित
स्थान तथा दिनांक
13. **नियोक्ता द्वारा वचनबद्धता**— मैं, ... (नियोक्ता, अधिभोगी या प्रबंधक) इस सुरक्षा अंकेक्षण की सिफारिशों पर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट को या उससे पहले प्रस्तुत करने का वचन देता हूं।
नियोक्ता, अधिभोगी या प्रबंधक के हस्ताक्षर

प्रपत्र—च

सुरक्षा अंकेक्षण पर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट

[पैराग्राफ 19 देखें,]

1. प्रतिष्ठान का नाम तथा पता तथा संहिता की धारा 3 के अंतर्गत पंजीकरण संख्या
.....
2. अद्वितीय अंकेक्षण संख्या तथा अंकेक्षण रिपोर्ट की दिनांक
3. पैनल में शामिल विशेषज्ञ का नाम तथा प्रमाण पत्र संख्या
4. अनुपालन विवरण

क्रम सं.	प्रपत्र—ड. में दर्ज निष्कर्ष	वर्गीकरण	दिनांक सहित की गई कार्रवाई	अपलोड किया गया अनुपालन प्रमाण (संदर्भ)

5. घोषणा।— मैं घोषणा करता हूं कि उपर्युक्त बताई गई कार्रवाई वास्तव में की जा चुकी है तथा अपलोड किए गए प्रमाण सत्य तथा सही हैं, तथा मुझे यह ज्ञात है कि मिथ्या कथन संहिता की धारा 98 को आकर्षित करता है।

नियोक्ता, अधिमोगी या प्रबंधक के हस्ताक्षर

स्थान तथा दिनांक

(संख्या—01/OSHC-05/2026—218 / श्र०सं०)

बिहार—राज्यपाल के आदेश से

उपेन्द्र प्रसाद,

सरकार के विशेष सचिव।

श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग

अधिसूचना

17 सितम्बर 2026

एस० ओ० 218 एस० ओ० 217 दिनांक 18 सितम्बर 2026 का अंग्रेजी भाषा में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के (खण्ड) 3 के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा।

(संख्या—01/OSHC-05/2026—219 / श्र०सं०)

बिहार—राज्यपाल के आदेश से

उपेन्द्र प्रसाद,

सरकार के विशेष सचिव।

LABOUR RESOURCES AND MIGRANT WORKERS WELFARE DEPARTMENT

NOTIFICATION

The 17th September 2026

**THE BIHAR SELF-CERTIFICATION AND THIRD PARTY AUDIT AND
CERTIFICATION SCHEME, 2026**

*Under the Occupational Safety, Health and Working Conditions Code, 2020 and the
Occupational Safety, Health and Working Conditions (Bihar) Rules, 2026*

Preamble—S.O. 217 dated 18th September 2026—Whereas the Labour Inspection Convention, 1947 (No. 81) of the International Labour Organisation, which has been in force with effect from 7th April, 1950 and has been ratified by India, requires the maintenance of a system of labour inspection in industrial and commercial workplaces, and requires that labour inspectors be recruited with sole regard to their qualifications and be adequately trained for the performance of their duties;

And whereas labour inspection is a core function of the State for securing safe and healthy conditions of work, and Article 12 of the said Convention preserves the right of inspectors to enter workplaces freely and without previous notice, which right is not abridged by this Scheme;

And whereas **section 34(3)(i)** of the Occupational Safety, Health and Working Conditions Code, 2020 (37 of 2020) empowers the appropriate Government to lay down, by notification, an inspection scheme providing for the generation of web-based inspection and calling of information electronically, and **section 34(3)(ii)** requires provision for randomised selection of the establishment and of the Inspector-cum-Facilitator;

And whereas **section 37(1)** of the said Code empowers the appropriate Government, by notification, to formulate a scheme to empanel experts possessing such qualifications and experience as may be prescribed, for the purpose of such start-up establishments or class of establishments as may be specified in the notification, and **section 37(2)** requires that such experts be assigned third party audit and certification in a randomised manner through a web-based scheme and submit their reports to the concerned employer and to the Inspector-cum-Facilitator;

And whereas **rule 35** of the Bihar Occupational Safety, Health and Working Conditions Rules, 2026 provides that the specialised qualification and experience, duties and responsibilities of experts to be empanelled under **section 37** shall be notified by the State Government, and **sub-rule (2) of rule 32** of the said Rules requires the State Government to lay down, by notification, a web-based inspection scheme based on risk assessment of establishments;

And whereas it is expedient, in furtherance of the Business Reform Action Plan of the Government of India relating to the Central Inspection System, to provide a graded compliance verification framework consisting of self-certification for Low Risk establishments, third party audit and certification for Medium Risk establishments and inspection by the Inspector-cum-Facilitator for High Risk establishments;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 37 read with clause (i) of sub-section (3) and sub-section (4) of section 34 of the Occupational Safety, Health and Working Conditions Code, 2020 (37 of 2020), and read with rule 35 and sub-rule (2) of rule 32 of the Bihar Occupational Safety, Health and Working Conditions Rules, 2026, the Governor of Bihar is pleased to formulate the following Scheme, namely:

CHAPTER I PRELIMINARY

1. *Short title, application and commencement.*—

- (1) This Scheme may be called the **Bihar Self-Certification and Third Party Audit and Certification Scheme, 2026**.
- (2) It extends to the whole of the State of Bihar.
- (3) It shall apply to every establishment registered under **section 3** of the Code in respect of which the State Government is the appropriate Government within the meaning of **clause (d) of sub-section (1) of section 2** of the Code, and which stands classified as Low Risk or Medium Risk under the notification of Risk-Based Classification.
- (4) This Scheme shall not apply to:
 - (a) any establishment in relation to which the Central Government is the appropriate Government, including mines, major ports, oil fields, railways, and establishments of the Central Government or of a corporation or authority owned or controlled by it;
 - (b) any establishment classified as High Risk;
 - (c) any major accident hazard installation, or any factory carrying on a hazardous process specified in the **First Schedule** to the Code, or handling a hazardous substance in a quantity equal to or exceeding the threshold specified in **Schedule II** to the Bihar Rules, notwithstanding the risk category otherwise assigned to it.
- (5) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette. Provided that Chapter III shall become operative from the date on which the module for randomised allocation of empanelled experts on the Central Inspection System Portal is declared functional by the Labour Commissioner, Bihar, by order published on the said Portal.

2. *Definitions.*—

- (1) In this Scheme, unless the context otherwise requires:
 - (a) **"Code"** means the Occupational Safety, Health and Working Conditions Code, 2020 (37 of 2020);
 - (b) **"Bihar Rules"** means the Occupational Safety, Health and Working Conditions (Bihar) Rules, 2026;
 - (c) **"CIS Portal"** means the web-based Central Inspection System Portal of the Department.
 - (d) **"Empanelled expert"** means an individual or an institution recognised and empanelled under Chapter III of this Scheme as an expert for the purposes of section 37 of the Code;
 - (e) **"Safety audit"** means a systematic, documented and objective evaluation of the occupational safety, health, welfare and working condition provisions and procedures of an establishment, carried out against the provisions of the Code, the rules, regulations, bye-laws and standards made thereunder and the notified digital checklist;
 - (f) **"Institution"** means a firm, association, body corporate, society or other body registered under any law for the time being in force and engaged mainly in the field of occupational safety and health of workers;

- (g) **"Self-certification"** means a declaration in FORM-D filed electronically or otherwise by an employer of a Low Risk establishment in accordance with Chapter II;
 - (h) **"Risk Classification Scheme"** means the Bihar Risk-Based Classification of Establishments (Occupational Safety, Health and Working Conditions) Scheme, 2026 notified by the Department;
 - (i) **"Digital checklist"** means the inspection and audit checklist notified by the Department and published on the CIS Portal;
 - (j) **"Audit cycle"** means the period of twelve months in respect of which a safety audit is required to be carried out under Chapter III.
- (2) Words and expressions used in this Scheme and not defined herein but defined in the Code or in the Bihar Rules shall have the meanings respectively assigned to them in the Code or in the said Rules.

3. **Graded framework of compliance verification.—**

- (1) In accordance with **section 34(4)(d)** of the Code, compliance verification shall be differentiated on the basis of the risk profile of the establishment as determined under the Risk Classification Scheme, in the following manner:

Risk category	Mode of verification	Instrument and statutory basis
Low Risk	Self-certification	Chapter II of this Scheme; section 34(3)(i) of the Code
Medium Risk	Third party audit and certification by an empanelled expert	Chapter III of this Scheme; section 37 of the Code read with rule 35 of the Bihar Rules
High Risk	Inspection by the Inspector-cum-Facilitator	Inspection Scheme notified under section 34(3) of the Code read with rule 32(2) of the Bihar Rules

- (2) Participation in Chapter II or Chapter III is optional for the employer. An employer who does not opt for this Scheme shall continue to be governed by the Inspection Scheme notified under **section 34(3)** of the Code vide notification no. 194-195, dated-14.08.2026
- (3) Nothing in this Scheme shall be construed to abridge, fetter or displace the powers of the Inspector-cum-Facilitator under **section 35**, the special powers under **section 38**, the obligations arising on a report of imminent danger under **section 89**, or the duty of the employer under **sections 10 to 12** of the Code to report accidents and dangerous occurrences.

CHAPTER II

SELF-CERTIFICATION FOR LOW RISK ESTABLISHMENTS

4. *Eligibility.*—

- (1) An employer may opt for self-certification under this Chapter if the establishment:
 - (a) is registered under **section 3** of the Code and holds, where required, a valid licence under the Code;
 - (b) stands classified as Low Risk under the Risk Classification Scheme; and
 - (c) has filed the annual return required under the Bihar Rules for the preceding two financial years, where such return was due.
- (2) The option shall be exercised electronically on the CIS Portal in **FORM-D**, accompanied by such fee as may be prescribed, by the department if the department thinks it to be necessary.

5. *Filing and validity.*—

- (1) A self-certification shall be filed in **FORM-D** along with the completed digital checklist, and shall be filed on or before 30th April of the year following the financial year to which it relates.
- (2) A certificate generated by the CIS Portal on acceptance of the self-certification shall be valid for three years from the date of approval, subject to the annual filing required by sub-clause 5(1).
- (3) The self-certification and the checklist shall be deemed to be a return, record and report furnished under the Code, and a false, incorrect or misleading declaration shall attract **section 98** of the Code and, where a contravention is established, **sections 94 and 96** of the Code, as the case may be.

6. *Effect of self-certification.*—

- (1) An establishment holding a valid self-certification shall not be selected for routine risk-based inspection under the Inspection Scheme during the period of validity.
- (2) Sub-clause 6(1) shall not apply to, and this Chapter shall not prevent:
 - (a) action under section 38 of the Code where conditions may cause serious hazard or imminent danger;
 - (b) inspection consequent upon an accident, dangerous occurrence or notifiable occupational disease reported under sections 10 to 12 of the Code, or reported by any other source;
 - (c) inspection on a complaint, with the prior approval of the Labour Commissioner, Bihar;
 - (d) special inspection on parameters notified under section 34(4)(c) of the Code;
 - (e) random verification under clause 7; or
 - (f) inspection required within a prescribed period under any other enactment for the time being in force.

7. *Random verification.*—

- (1) The CIS Portal shall, each financial year, randomly select for verification not more than five per cent of the establishments holding a valid self-certification.

- (2) Verification shall be carried out by a team constituted under the Inspection Scheme, and no officer who verified an establishment shall verify the same establishment in the immediately succeeding cycle.
 - (3) The verification report shall be uploaded on the CIS Portal within 24 hours of completion, with photographs, instrument readings, machinery serial numbers, calibration certificates of the instruments used, and the geographic coordinates and time stamp of the visit.
8. ***Withdrawal of the benefit of self-certification.—***
- (1) The Chief Inspector-cum-Facilitator may, by order in writing recording reasons and after affording the employer an opportunity of being heard, withdraw the benefit of self-certification where:
 - (a) a fatal or serious accident has occurred and is found, on inquiry, to be attributable to a contravention of the Code or the rules made thereunder;
 - (b) the annual return has not been filed for two consecutive financial years;
 - (c) a complaint of contravention has been established on inquiry; or
 - (d) the declaration made in FORM-D is found to be false in any material particular.
 - (2) An order under sub-clause 8(1) shall operate prospectively, and the establishment shall thereupon be re-classified under the Risk Classification Scheme and dealt with under the Inspection Scheme. The fee as may be prescribed paid shall not be refundable, and no fee shall stand forfeited by way of penalty.
 - (3) An appeal shall lie against such order under clause 26.

CHAPTER III THIRD PARTY AUDIT AND CERTIFICATION FOR MEDIUM RISK ESTABLISHMENTS

9. ***Class of establishments specified under section 37(1).—***The class of establishments specified for the purposes of **sub-section (1) of section 37** of the Code shall be (a) start-up establishments recognised as such by the Department of Industries, Government of Bihar, and (b) all establishments classified as Medium Risk under the Risk Classification Scheme.
10. ***Empanelment of experts.—***
- (1) The Chief Inspector-cum-Facilitator may empanel as an expert any individual possessing the qualifications, experience and other requirements set out in **ANNEXURE-I**.
 - (2) The Chief Inspector-cum-Facilitator may empanel as an expert any institution employing not less than five persons each possessing the qualifications, experience and other requirements set out in **ANNEXURE-I**.
 Provided that where such institution ceases to employ five such persons, the empanelment shall stand suspended from the date of such cessation and shall be cancelled if the deficiency is not made good within sixty days.
 - (3) The Directorate General Occupational Safety and Health (DGOSH), the Regional Labour Institutes and the National Safety Council of India

shall be deemed to be empanelled institutions for the purposes of this Scheme, subject to compliance with paragraphs 13, 14 and 16.

- (4) The Chief Inspector-cum-Facilitator may, from time to time, determine the number of experts to be empanelled having regard to the quantum of work in the State, and shall invite applications by public notice on the CIS Portal.

11. Application, scrutiny and grant.—

- (1) An application for empanelment or for renewal shall be made electronically on the CIS Portal by an individual in **FORM-A** and by an institution in **FORM-B**, accompanied by such fee as may be prescribed, by the department if the department thinks it to be necessary.
- (2) The Chief Inspector-cum-Facilitator may constitute a scrutiny committee to examine applications, to conduct a written test or viva voce where necessary, and to make recommendations.
- (3) The Chief Inspector-cum-Facilitator shall dispose of every application within sixty days of its receipt, and shall either grant empanelment or reject the application by an order recording reasons, which shall be communicated to the applicant on the CIS Portal.
- (4) On grant, a certificate of empanelment shall be issued in **FORM-C**, and the name, certificate number, qualifications and jurisdiction of the expert shall be published on the CIS Portal.
- (5) Empanelment shall be valid for three years from the date of issue of the certificate. An application for renewal shall be made at least three months before expiry and shall be dealt with in the manner provided in this paragraph.

12. Disqualification for renewal.—An expert shall not be eligible for renewal of empanelment if:

- (a) the empanelment has been revoked on two previous occasions; or
- (b) the expert has carried out fewer than five safety audits in the preceding one year, unless fewer assignments were allotted by the CIS Portal.

13. Conditions of empanelment.—

Every empanelled expert shall:-

- (a) maintain, in electronic form on the CIS Portal, a log book of all safety audits undertaken, showing the name and address of the establishment audited, the name of the person who carried out the audit, the contact persons, the date of the audit and the date of submission of the report to the employer and to the Inspector-cum-Facilitator;
- (b) not disclose, even after ceasing to be an empanelled expert or an employee of an empanelled institution, any manufacturing or commercial secret or working process or other confidential information coming to knowledge in the course of duty, consistently with section 124 of the Code, failure whereof shall render the expert liable to civil or criminal proceedings in accordance with law;
- (c) not supply to the establishment audited, or to any person on its behalf, any plant, machinery, raw material, safety equipment, material or consultancy service, during the period of empanelment and for two years thereafter;
- (d) carry out the audit strictly in accordance with the standards declared under section 18 of the Code, the provisions of the Code and the rules

made thereunder, and IS 14489 or such other standard as may be current at the relevant time, whichever is later; and

- (e) furnish an annual statement of audits performed, on or before 30th April each year, on the CIS Portal.

14. Randomised allocation, rotation and conflict of interest.—

- (1) In accordance with **clause (a) of sub-section (2) of section 37** of the Code, the assignment of third party audit and certification shall be made by the CIS Portal in a **randomised manner**. No employer shall select, nominate or engage an expert of the employer's own choice for the purposes of this Scheme.
- (2) The randomisation algorithm shall optimise geographic allocation within the district or region, and shall be auditable.
- (3) No expert shall be allotted the same establishment in two consecutive audit cycles, nor more than twice in any period of five years.
- (4) On every allocation the expert shall file, on the CIS Portal, a declaration on the model of **sub-section (8) of section 34** of the Code that the expert is not, directly or indirectly, interested in the establishment, or in any process, business, patent or machinery connected therewith, and is not employed by, nor an occupier, partner, director or manager of, the establishment, and is not related to any such person as an immediate or extended family member.
- (5) Where such interest exists or arises, the expert shall decline the allocation forthwith and the CIS Portal shall reallocate the assignment automatically. Acceptance of an allocation in breach of this paragraph shall be a ground for revocation under paragraph 22.

15. Notice and conduct of audit.—

- (1) On allocation, the CIS Portal shall intimate the employer and the expert of the scheduled date of audit not less than seventy-two hours in advance, and the audit shall be completed within thirty days of allocation.
- (2) The audit shall be conducted strictly in accordance with the **notified digital checklist**. No finding shall be recorded, and no information sought, beyond the scope of the digital checklist, save where the audit is undertaken on a complaint, in which case the subject matter of the complaint shall also be examined.
- (3) The expert shall record in the audit module of the CIS Portal, as mandatory fields, photographs of the conditions observed, instrument readings, serial numbers of the equipment and machinery examined, and the calibration certificates of the instruments used. The geographic coordinates and the time stamp of the visit shall be captured automatically.
- (4) The employer shall afford the expert every facility for entry, inspection, examination and inquiry. Refusal of entry to an expert referred to in **section 37** is punishable under **clause (ii) of sub-section (1) of section 95** of the Code.

16. Classification of findings and cure periods.—

- (1) Every finding shall be classified by the expert in the audit report as Critical, Major or Minor, and the corresponding period for compliance shall be as follows:

Classification	Nature of finding	Period for compliance
Critical	A condition which may cause serious hazard or imminent danger by way of injury or death, of the nature contemplated by section 38(1)(A) of the Code	Immediate action Corrective action forthwith; compliance report within 72 hours
Major	A contravention having a direct bearing on the safety, health or working conditions of employees, not being Critical	15 days
Minor	A procedural, documentary or record-keeping contravention having no immediate bearing on safety or health	30 days

- (2) Where the expert finds a hazard posing imminent danger to the life or safety of employees, the expert shall communicate the same in writing forthwith to the employer, to the Inspector-cum-Facilitator and to the Chief Inspector-cum-Facilitator, and shall record it on the CIS Portal. The employer shall take immediate corrective action and submit a compliance report within 72 hours. Nothing in this Scheme shall preclude the Inspector-cum-Facilitator from exercising the powers under **section 38** of the Code in such a case.

17. Opportunity to the employer before finalisation of findings.—

- (1) On the conclusion of the audit, the expert shall record the provisional findings on the CIS Portal and communicate them to the employer by electronic mail and short message service on the same day.
- (2) The employer may file a response, with documents, on the CIS Portal within seven days of such communication.
- (3) The expert shall consider the response, record it in the audit report, and only thereafter finalise the report.

18. Audit report and its transmission.—

- (1) The safety audit report shall be prepared in **FORM-E** on the letterhead of the expert or the institution and shall include recommendations for improvement of occupational safety, health, welfare and working conditions.
- (2) In compliance with **clause (c) of sub-section (2) of section 37** of the Code, the expert shall submit the report simultaneously to the employer and to the Inspector-cum-Facilitator of the jurisdiction, and shall upload it on the CIS Portal within twenty-four hours of finalisation.

- (3) The report shall remain available to the employer for viewing and download in the employer's login on the CIS Portal for a period of not less than five years.

19. Action taken report.—

- (1) The employer shall take action on the recommendations of the expert within the period specified in paragraph 16 and shall submit an action taken report in **FORM-F**, with proof of compliance, to the Inspector-cum-Facilitator and the Chief Inspector-cum-Facilitator on the CIS Portal within thirty days of receipt of the audit report.
- (2) Compliance shall be monitored by the Chief Inspector-cum-Facilitator, who may afford the employer an opportunity of personal hearing, and where not satisfied, may cause verification at his own level within one month.
- (3) Verification of action taken reports shall be carried out in respect of not more than five per cent of the audited establishments in a financial year, selected randomly by the CIS Portal.

20. Effect of third party audit and certification.—

- (1) An establishment which has caused a safety audit to be carried out in each audit cycle and has filed the action taken report within time shall not be selected for routine risk-based inspection under the Inspection Scheme for the period of the certification.
- (2) Sub-paragraph (1) is subject to clauses (a) to (f) of sub-paragraph (2) of paragraph 6, which shall apply to this Chapter as they apply to Chapter II.
- (3) Where there is any change, total or partial, in the manufacturing process, the employer shall cause a fresh safety audit to be carried out within one month of such change, through an expert allotted by the CIS Portal.
- (4) The initiation of proceedings on the basis of an audit report shall be governed by **sub-section (1) of section 110** of the Code, under which the Inspector-cum-Facilitator shall first give the employer an opportunity of thirty days to comply, and shall not initiate prosecution if compliance follows, except in the case of an accident or of a repetition of a violation of the same nature within three years.

21. Fees.—

- (1) The fee as may be prescribed, by the department if the department thinks it to be necessary for empanelment and for renewal.
- (2) The fee payable by the employer for opting for third party audit and certification and shall be paid electronically as may be prescribed on the CIS Portal.
- (3) The professional fee payable by the employer to the empanelled expert shall be prescribed, by the department if the department thinks it to be necessary. The employer shall, in addition, bear conveyance, halting and such other charges as are actually incurred, on production of evidence.

22. Default by an empanelled expert.—

- (1) The Chief Inspector-cum-Facilitator may, after affording the expert an opportunity of being heard, suspend or revoke the empanelment where there is reason to believe that the expert:
 - (a) has violated any condition of empanelment or of renewal;

- (b) has carried out an audit in violation of the provisions of the Code or the rules made thereunder, or has acted inconsistently with their intent or purpose, or has omitted or failed to act as required thereunder;
 - (c) has accepted an allocation in breach of paragraph 14;
 - (d) has failed to submit a report within the time specified in paragraph 18, on more than two occasions;
 - (e) has recorded a finding which is found, on verification, to be materially false or misleading; or
 - (f) is disqualified for any other like reason to be recorded in writing.
- (2) An order of revocation shall be published on the CIS Portal, and the expert shall not be eligible for fresh empanelment for three years from the date of the order.
- (3) The making or delivery of a knowingly false report, statement or record by an expert attracts **section 98** of the Code, and failure to maintain the records or to file the statements required by this Scheme attracts **section 96** of the Code.
- (4) Suspension or revocation of empanelment shall not affect the validity of audits already completed, and pending allocations shall be reassigned by the CIS Portal.

CHAPTER IV

CENTRAL INSPECTION SYSTEM, TRANSPARENCY AND RECORDS

23. *Routing through the CIS Portal.*—

- (1) Every application, allocation, self-certification, checklist, audit report, action taken report, verification report, appeal and order under this Scheme shall be made, generated, transmitted and preserved only through the CIS Portal.
- (2) The CIS Portal shall assign, in accordance with **clause (a) of sub-section (4) of section 34** of the Code, a unique number to each establishment, being the registration number allotted under **section 3**, a unique number to each empanelled expert and to each Inspector-cum-Facilitator, and a unique number to each audit, verification and inspection.

24. *Publication and dashboards.*—The Department shall publish and keep updated on the CIS Portal:

- (a) the audit and inspection procedure and the digital checklist;
- (b) the Risk Classification Scheme and the risk category of every registered establishment;
- (c) the list of empanelled experts with certificate numbers, qualifications, jurisdiction and validity, and the list of experts whose empanelment stands suspended or revoked;
- (d) a dashboard of applications received and disposed of, the time taken and the fees as may be prescribed payable and paid;
- (e) a dashboard showing the number of verifications by type, namely routine risk-based, complaint-based, accident-related, special and random verification, together with the date and time of the last update; and
- (f) at the close of each financial year, aggregate statistics by district, by industry and by risk category, including compliance rates, the number of re-verifications and the number of penal actions taken.

25. *Records, retention and data protection.*—

- (1) All records generated under this Scheme shall be preserved for not less than five years, and shall be available to the employer in the employer's login for not less than three years.
- (2) Compliance status shall be displayed establishment-wise on the CIS Portal and shall be accessible to the employer and to the workers of that establishment.
- (3) Personal data collected under this Scheme shall be processed in accordance with the Digital Personal Data Protection Act, 2023, and information relating to any manufacturing or commercial business or working process shall be dealt with in accordance with **section 124** of the Code.
- (4) Where verification arises from a complaint by a worker, the identity of the complainant shall not be disclosed to the employer in any circumstance where the worker has sought confidentiality.

CHAPTER V

APPEAL, SAVINGS AND MISCELLANEOUS

26. *Appeal.*—

- (1) An employer or an expert aggrieved by an order under paragraph 8, paragraph 11, paragraph 19 or paragraph 22, or by a finding recorded in an audit report, may prefer an appeal electronically on the CIS Portal to the Labour Commissioner, Bihar within thirty days of communication of the order or of the report.
- (2) The appeal shall be heard within fifteen days of its filing and shall be disposed of by a reasoned order within thirty days of the hearing, which order shall be published on the CIS Portal.
- (3) Save in the case of an accident, a repetition of a violation of the same nature within three years, or a condition attracting **section 38** of the Code, prosecution shall not be initiated on the basis of an audit or verification report until the appeal, if any, has been disposed of.
- (4) The appeal application shall be accompanied by all relevant documents in support of the appeal and the prescribed fee for individual and institution.
- (5) The Labour Commissioner, Bihar may call for such further information or documents as may be required for the disposal of the appeal. The fee deposited by the appellant shall be non-refundable. The decision of the Labour Commissioner, Bihar shall be final.

27. *Settlement of contraventions by compounding.*—Where a contravention disclosed by an audit or verification under this Scheme is compoundable, the employer may apply for compounding under **section 114** of the Code. Compounding is a mechanism for the settlement of a contravention and does not constitute the imposition of a penalty, and the composition of an offence under that section shall not be treated as a penal consequence for the purposes of this Scheme or of any exemption granted under **section 127** of the Code.

28. ***New establishments.***—The relief available to new establishments from penal consequences arising out of compliance inspections shall be as provided in the separate notification issued by the State Government under **sub-section (2) of section 127** of the Code in respect of new factories, and under **sub-section (1) of section 127** in respect of other new establishments, and nothing in this Scheme shall be construed to curtail that relief.
29. ***Power to exempt.***—The State Government may, by notification under **sub-section (1) of section 127** of the Code, and for reasons to be recorded in writing, exempt any establishment or class of establishments from all or any of the provisions of this Scheme, subject to such conditions as may be specified.
30. ***Power to issue instructions.***—The Labour Commissioner, Bihar may issue such administrative instructions, standard operating procedures and portal configurations as are necessary to give effect to this Scheme, not being inconsistent with the Code, the Bihar Rules or this Scheme.
31. ***Supersession and savings.***—
 - (1) Any Self Certification and Third Party Certification / Audit Scheme, previously notified by the Department stands superseded from the date of commencement of this Scheme.
 - (2) Notwithstanding such supersession, anything done or any action taken under the superseded scheme shall, so far as it is not inconsistent with this Scheme, be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of this Scheme.

ANNEXURE-I

Qualifications, experience and other requirements for empanelment as an expert

(See paragraph 10)

1. ***Academic qualification and experience.***—The applicant shall possess any one of the following:
 - (a) a degree in Chemical, Civil, Mechanical, Metallurgical Engineering, Electrical or Production Engineering, and not less than five years experience in a manufacturing, maintenance, design, project or safety department in a supervisory or higher capacity in a factory or establishment, **and** a one-year full time Diploma in Industrial Safety recognised by the State Board of Technical Education, the All India Council for Technical Education or a recognised University; **or**
 - (b) a degree in any branch of Engineering and not less than fifteen years experience in a field relating to safety and health in factories of a Public Sector Undertaking of the Government of India or of a State Government; **or**
 - (c) a post-graduate degree or diploma in Industrial Safety, Industrial Hygiene or Occupational Health from a recognised University or institution, and not less than seven years experience in the field of occupational safety and health in a factory or establishment.
2. ***Independence.***—The applicant shall not be directly or indirectly interested in the establishment to be audited, or in any process or business carried on therein, or in any patent or machinery connected therewith.
3. ***Fitness.***—Where the applicant is more than 65 years of age, a certificate of physical fitness for the purpose of carrying out safety audits, issued by a Civil

- Surgeon or a Certifying Surgeon, shall be furnished with the application for empanelment or renewal.
4. **Institutions.**—An institution shall employ not less than three persons each satisfying paragraphs 1 to 3 above, and shall possess the instruments, testing facilities and calibration records necessary for the conduct of a safety audit.
 5. **Relaxation.**—The Labour Commissioner, Bihar may, for reasons to be recorded in writing, relax the requirement of qualification in respect of an institution which is exceptionally specialised in the field of safety audit, for a period not exceeding two years. No relaxation shall be granted in respect of the requirement of independence in paragraph 2.

FORM-A

Application for empanelment or renewal of empanelment as an expert (individual)

[See paragraph 11(1)]

1. Name of the applicant
2. Father's or husband's name
3. Date of birth and age
4. Permanent address
5. Address for correspondence
6. Mobile number and electronic mail address
7. Aadhaar or other identity particulars
8. Certificate number and date (in case of renewal)

9. Educational qualifications (upload self-attested copies)

Sl. No.	Degree or diploma	College, institution or university	Year of completion

10. Technical qualification in safety (upload self-attested copies)

Sl. No.	Degree or diploma	College, institution or university	Year of completion

11. Work experience (upload self-attested copies)

Sl. No.	Organisation and designation	Nature of duties	Period (from and to)

Declaration.— I declare that the particulars furnished above are true and correct to the best of my knowledge and belief. I am not, directly or indirectly, interested in any establishment which I may be allotted for audit. I undertake to abide by the conditions of empanelment and by the provisions of the Occupational Safety, Health and Working Conditions Code, 2020 and the rules and schemes made thereunder, and to uphold professional ethics in the discharge of my duties.

Signature of the applicant

Place and date

FORM-B**Application for empanelment or renewal of empanelment as an expert (institution)***[See paragraph 11(1)]*

Sl.	Particulars	Details
1.	Name and full address of the institution	
2.	Status of the institution (Government, autonomous, co-operative, corporate, society or private) with registration number	
3.	Name of the head of the institution, mobile number and electronic mail address	
4.	Whether the institution has been recognised or empanelled as a safety auditor by this State or any other State, with details	
5.	Particulars of not less than three employed persons satisfying ANNEXURE-I (bio-data and appointment letters to be uploaded)	
6.	Instruments, testing facilities and valid calibration certificates available	
7.	Certificate number and date (in case of renewal)	
8.	Whether recognition or empanelment has been revoked or cancelled in the past, with dates and order numbers	

Declaration.— I declare that the information furnished above is correct to the best of my knowledge and belief; that the persons whose bio-data is attached are employees of the institution; that the institution shall notify the Chief Inspector-cum-Facilitator immediately if any such person leaves its employment; that the institution shall maintain the facilities in good working order; and that the institution shall abide by all conditions of empanelment.

Note: *An institution whose recognition or empanelment has been revoked on two occasions is not eligible for empanelment.*

Signature of the head of the institution, with designation

.....

Place and date

FORM-C

Certificate of empanelment as an expert under section 37 of the Code

[See paragraph 11(4)]

This is to certify that (name of the individual or institution), having satisfied the requirements of ANNEXURE-I to the Bihar Self-Certification and Third Party Audit and Certification Scheme, 2026, is hereby empanelled as an expert under **section 37** of the Occupational Safety, Health and Working Conditions Code, 2020, for the purpose of carrying out third party audit and certification of establishments allotted through the Central Inspection System Portal.

Certificate number

Jurisdiction

Valid from

Valid up to

.....

Conditions: this empanelment is subject to paragraphs 13, 14, 15 and 22 of the Scheme, and to such further conditions as may be specified on the Central Inspection System Portal.

Signature and seal of the Chief Inspector-cum-Facilitator, Bihar

.....

FORM-D
Self-certification by a Low Risk establishment
[See paragraph 4(2) and paragraph 5]

1. Name and address of the establishment
2. Registration number under section 3 of the Code
3. Licence number under section 119 of the Code, where applicable
4. Name of the employer, occupier or manager
5. Nature of activity and risk category assigned
6. Number of workers employed
7. Financial year to which this certification relates
8. **Completed digital checklist** as notified by the Department, uploaded on the CIS Portal (mandatory).

Declaration.— I declare that the establishment complies with the applicable provisions of the Occupational Safety, Health and Working Conditions Code, 2020, the Bihar Occupational Safety, Health and Working Conditions Rules, 2026 and the standards declared under **section 18** of the Code; that the particulars in the checklist are true and correct; and that I am aware that a false declaration attracts **section 98** of the Code and that a contravention attracts **sections 94 and 96** of the Code.

Signature of the employer, occupier or manager

Place and date

FORM-E
Safety audit report
[See paragraph 18]

1. Name and address of the establishment
2. Registration number under section 3 of the Code
3. Electronic mail address and contact number
4. Name of the employer, occupier or manager
5. Risk category and audit cycle
6. Date or dates of audit and unique audit number
7. Name of the empanelled expert, certificate number, and the name of the person who carried out the audit in the case of an institution
8. Allocation reference generated by the CIS Portal
9. **Process particulars.** List of raw materials with maximum storage quantity; list of finished products with maximum storage quantity; manufacturing process flow chart; piping and instrumentation diagram of all plants in the case of chemical factories.
10. **Findings.** To be recorded against each entry of the notified digital checklist, in the following manner:

Sl.	Checklist entry and provision of the Code or rules	Classification (Critical, Major, Minor)	Evidence (photograph, reading, serial number, calibration certificate reference)	Recommendation and period for compliance

11. **Employer's response** recorded under paragraph 17 (to be reproduced in full).
12. **Declaration by the expert.** I certify that the audit was carried out in accordance with the provisions of the Occupational Safety, Health and Working Conditions Code, 2020, the rules and standards made thereunder and IS 14489 or the current equivalent standard; that the audit was confined to the notified digital checklist; that I have no direct or indirect interest in the establishment; and that the findings recorded above are true and correct.

Signature of the empanelled expert with certificate number

Place and date

13. **Undertaking by the employer.** I, ... (employer, occupier or manager) undertake to submit the action taken report on the recommendations of this safety audit on or before

Signature of the employer, occupier or manager
.....

FORM-F**Action taken report on a safety audit***[See paragraph 19]*

1. Name and address of the establishment and registration number under section 3 of the Code
2. Unique audit number and date of the audit report
3. Name and certificate number of the empanelled expert
4. **Compliance statement**

Sl.	Finding as recorded in FORM-E	Classification	Action taken with date	Proof of compliance uploaded (reference)

5. **Declaration.**—I declare that the action taken as stated above has actually been taken and that the proofs uploaded are true and correct, and I am aware that a false statement attracts **section 98** of the Code.

Signature of the employer, occupier or manager

Place and date

(No. 01/OSHC-05/2026-218/ L.R.)

By The order of the Governor of Bihar,

UPENDRA PRASAD,*Special Secretary to the Government.*

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 1139—571+200-डी0टी0पी0।

Website: <https://egazette.bihar.gov.in>